

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

प्राप्त अधिकारी :- बन्शीधर योगी, (आर०ए०एस०)

दस्तावेज संख्या :- ५५१०२५ ज०५५

1. ~~इस~~ 51 न्यायालय के तहत बिठ जेडी माता - 550 श्रीगा - 1010

प्रार्थी.....

बनाम

01. जोहन 51 न्यायालय के तहत बिठ जेडी माता - 550 श्रीगा - 1010

विपक्षीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 18/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत दन किया कि ग्राम ~~जेडी माता~~ पटवार हल्का ~~पटवार~~ तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खाता संख्या 5 आराजी नम्बर 361,

कुलकिता 1 रकबा 1.49.6 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न ता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.1.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को गार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने कारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का ही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक क सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~जेडी माता~~ पटवार हल्का ~~पटवार~~ तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 5 आराजी नम्बर 361,

कुलकिता 1 रकबा 1.49.6 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की नकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक ~~पटवार~~ को 550/ के फीस पर कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये न बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा जिला- भीलवाडा  


पि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार डी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा जिला- भीलवाडा  
कलक्टर करेडा